"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी 2014— पौष 26, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

दिनांक 16 जनवरी 2014

छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2013.

क्रमांक 57/छ.रा.वि.नि.आ./2013– विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा 61, 86 सहपठित 181 में निहित शक्तियों और इस संबंध में अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों के अनुसरण में इस आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2012 (एतस्मिनपश्चात् '**मूल विनियम**' कहें जाएंगे) बनाएं थे। इन विनियमों द्वारा पवन आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों, छोटे जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों, बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों, और सौर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत विक्रय के निमित्त टैरिफ की शर्तें और दशाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं।

मूल विनियमों के अनुसरण में आयोग एतदद्वारा मूल विनियमों को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ–

1.1 ये विनियम, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 कहलाएंगे;

1.2 ये विनियम, 1ली अप्रैल, 2012 से लागू होंगे और लागू होने की तिथि से पॉच वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे;

2. मूल विनियमों के विनियम 6.2 का संशोधन– विनियम 6.2 के स्थान पर निम्नांकित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात–

6.2 विभिन्न नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं जो 1 ली अप्रैल 2012 के उपरांत प्रारंभ हुई है (Commencing COD) और जिन पर मूल टैरिफ प्रयोज्य हैं उनके लिए टैरिफ अवधि 12 वर्ष की विचार में ली जाएगी। टैरिफ अवधि के दौरान टैरिफ का कोई पुनरीक्षण नहीं होगा।

परन्तु, ऐसा मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र जिन्होंने 1 ली अप्रैल 2012 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन की दिनांक अर्जित कर ली है और परियोजना के उपयोगी जीवन काल हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ दीर्घावधि विद्युत क्रय अनुबंध है, उनके लिए टैरिफ अवधि नियंत्रण अवधि के सामान ही अर्थात् 5 वर्ष रहेगी।

3. मूल विनियमों के 10 का संशोधन– विनियम 10.1 में निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए,–

10.1 टैरिफ अवधि के लिए मूल टैरिफ का निर्धारण स्तरीकृत (levellised) आधार पर किया जाएगा।

परन्तु, दो घटक वाली नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के लिए टैरिफ का निर्धारण स्थिर लागत घटक के लिए परियोजना के वाणिज्यिक संचालन तिथि के वर्ष को विचार में लेते हुए स्तरीकृत आधार पर किया जाएगा, जबकि ईंधन लागत घटक को संचालन के वर्ष के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

विनियम 10.1 के उपरांत निम्नाकित दो विनियम जोड़े जाएं, अर्थात–

10.2 स्तरीकृत टैरिफ के संगणना के उद्देश्य से कर उपरांत भारित औसत पूंजीलागत के समतुल्य डिस्काउन्ट फैक्टर विचार में लिया जाएगा।

10.3 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के लिए स्तरीकरण निकाला जाएगा, जबकि टैरिफ को ''टैरिफ अवधि'' के समतुल्य अवधि हेतु विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

परन्तु, ऐसे नवीकरणीय विद्युत संयंत्र जिन्होंने 1 ली अप्रैल, 2012 को वाणिज्यिक संचालन का दिनांक प्राप्त कर लिया है और परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ दीर्घावधि विद्युत क्रय अनुबंध हो चुका है, के लिए कोई टैरिफ स्तरीकरण नहीं निकाला जाएगा और टैरिफ 5 वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

4. **मूल विनियमों के विनियम 28 का संशोधन–** विनियम 28.3 के पश्चात् निम्नांकित विनियम जोड़ा जाए, परन्तु, मौजूदा लघु जल विद्युत संयंत्र जिन्होंने 1 ली अप्रैल, 2012 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन की दिनांक प्राप्त कर ली है और उस परियोजना के उपयोगी जीवनकाल हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी से दीर्घावधि विद्युत क्रय अनुबंध कर लिया है, जिसके लिए आयोग ने टैरिफ का निर्धारण कर दिया है, पूंजीलागत आयोग के सुसंगत आदेशों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार विचार में ली जाएगी और लागत पूंजी में से पूंजी अनुदान/सबसीडी को समायोजित कर लिया जाएगा। अन्य वित्तीय मानदण्ड इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार रहेंगे।

टीपः– इन विनियमों के हिन्दी पाठ से अंग्रेजी पाठ के निर्वचन अथवा समझ में किसी तरह के मतभेद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(पी.एन. सिंह)
सचिव